

FORM No. III

फर्द अहकाम
(नियम 26)

सहायक कलक्टर एवं कार्यपालक मजिस्ट्रेट (फास्ट ट्रैक) खण्डेला

दिनांक बनाम सु.जा.प्र. को.

मुकदमा नं. FT-07/2019 सन् 2019

हुकम या कार्यवाही मय लघुहस्ताक्षर जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुकम की तालीम में जारी हुए
<p>वकील वकील श्री भजनाथ ने हाजिर अदालत होकर वादपत्र पेश किया। दावा दर्ज रजिस्ट्रार किया जावे। प्रतिवादीगण की तस्वीर जारीये (अम्न की जालर पत्रवली दिनांक 15/02/19 को पेश हो।</p> <p>26⁰⁴/19 रजिस्ट्रार पेश करने पर पत्रवली पेश हुई। वकालत उप. पीठासीन अधिकारी अदालत/ अन्य कार्य में व्यस्त। पत्रवली पूर्व आदेशानुसार आईन्दा दिनांक-27/05/19 को पेश हो</p>	<p>68-90 15-1-19</p>
<p>05/19 वकील वकील उप.। उतिवादी सं. 20 व 21 की तालीम सम्मिल रूप से होकर लौटी हैं। बावजूद सम्मिल तालीम उक्त उतिवादीगण की ओर से कोई हाजिर अदालत नही आया है। अतः उतिवादी सं. 20 व 21 के विरुद्ध एक फकीप कार्यवाही अम्न ने लाई जाती है। पत्रवली बास्ते वास्ते बर्खजाल तालीम शेष उतिवादीगण दिनांक 08/07/19 को पेश हो।</p>	
<p>08⁰⁷/19 वकील वकील उप.। वकील वकील ने अ.पत्र सिद्धा पेश कर निवेदन किया कि उनवानी उज्जाल में पदकारण ने आपस में मिल-बैठकर</p>	

तारीख हुकम

हुकम या कार्यवाही मय लघुहस्ताक्षर जज

बाहरी बराजीनामा का लिया है। वादी ज्जल
में आगे कोई कार्यवाही नहीं चाहते हैं।
अतः दावा विद्रा किया जाने के आदेश
उदान को। बकील वादी का डा. पत्र
न्यायहित में स्वीकार किया जाकर दावा
विद्रा की अनुमति उदान की जाती है।
ज्जल में आगे कोई कार्यवाही अपेक्षित
नहीं है। कार्यवाही ज्जल इसी स्तर पर
रूप किया जाता है। पत्रावली फंसल
शुमार होकर नम्बर से कम हो तथा बाध
तकमील दाखिल दफतर हो। निर्णय छत्रे
न्यायालय में सुनाया गया।